



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1948 (श10)
(सं० पटना 370) पटना, वृहस्पतिवार, 23 अप्रील 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
23 अप्रील 2026

सं० बी०1-3-65/2026-07—बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित श्री मंगल पांडे का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 06.05.2030 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व बिहार विधान सभा में उनके निर्वाचित होने के कारण 16.11.2025 से रिक्त होने के फलस्वरूप हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से आयोजित किये जाने वाले बिहार विधान परिषद का उप निर्वाचन, 2026 निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/बिहार-वि.प./01/2025-एम.एल.ए.(1) दिनांक 23.04.2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति तथा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/बिहार-वि.प./01/2025-एम.एल.ए.(2) दिनांक 23.04.2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 23 अप्रैल, 2026

वैशाख 03, 1948 (शक)

सं. 100/बिहार-वि.प./01/2025-एम.एल.ए.(1)-यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित श्री मंगल पांडे का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 06.05.2030 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व बिहार विधानसभा में उनके निर्वाचित होने के कारण 16.11.2025 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य के विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 13 मई, 2026 (बुधवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 30 अप्रैल, 2026 (गुरुवार);
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 2 मई, 2026 (शनिवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 4 मई, 2026 (सोमवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 12 मई, 2026 (मंगलवार); और
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 13 मई, 2026 (बुधवार); नियत करता है; और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi./Dated: 23rd April, 2026
Vaisakha 03, 1948 (Saka)*

No.100/BR-LC/01/2025-MLA (1): - Whereas, the seat of Shri Mangal Pandey in the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of the Legislative Assembly of the State, has become vacant on 16.11.2025 by the reason of his election to Bihar Legislative Assembly, before the expiration of his term of office which was up to and including 06.05.2030; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 151, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) calls upon the members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, before **13th May, 2026 (Wednesday)**, and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State;
- (B) appoints with respect to said election, -
 - (a) the 30th April, 2026 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 2nd May, 2026 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 4th May, 2026 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 12th May, 2026 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 13th May, 2026 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

**By order,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.**

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 23 अप्रैल, 2026

वैशाख 03, 1948 (शक)

सं. 100/बिहार-वि.प./01/2025-एम.एल.ए.(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से दिनांक 23 अप्रैल, 2026 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचनाओं के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार राज्य की विधान परिषद के होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में, एतद्वारा:-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री छोटे पासवान, उप सचिव, बिहार विधान सभा	श्री सुधीर कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi./Dated: 23rd April, 2026
Vaisakha 03, 1948 (Saka)*

No.100/BR-LC/01/2025-MLA (2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Bihar, hereby: -

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer, and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of bye-election to the Legislative Council of the State of Bihar by the members of the Legislative Assembly of the State, to be held in pursuance of the Commission's Notifications published in the official Gazette of the State on 23.04.2026: -

TABLE

Officer designated as Returning Officer	Officer appointed as Assistant Returning Officer
1	2
Shri Chhote Paswan, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly	Shri Sudhir Kumar Singh, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly

**By order,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 370-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>